सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/SER-2394/RJ/67/2025-RO-JPR/RU-I **दिनांक: 27.04.2026**

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
पंचायती राज विभाग,
राजस्थान सरकार,
सचिवालय, जयपुर-303902,
राजस्थान
ई-मेल: rdpr@rajasthan.gov.in

विषय: **अनुसूचित जनजाति की महिला को राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी 2021 की परीक्षा में नियुक्ति नहीं देने के सन्दर्भ में श्रीमती निर्मला गरासिया, पत्नी स्व. श्री हिम्मतसिंह, निवासी नानमपाडा पोस्ट- भाणदा, पंचायत समिति- खेरवाड़ा जिला उदयपुर, राजस्थान से दिनांक 23.04.2025 का अभ्यावेदन।**

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 18.11.2025** को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्रीमती निर्मला गरासिया,
पत्नी स्व. श्री हिम्मतसिंह,
निवासी नानमपाडा पोस्ट- भाणदा,
पंचायत समिति- खेरवाड़ा
जिला उदयपुर, राजस्थान,
मो.न.:9636815758

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/SER-2394/RJ/67/2025-RO-JPR/RU-I
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I
अनुसूचित जनजाति की विधवा महिला को राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी 2021 की परीक्षा में नियुक्ति नहीं देने के सन्दर्भ में श्रीमती निर्मला गरासिया, पत्नी स्व. श्री हिम्मतसिंह, निवासी नानमपाडा पोस्ट- भाणदा, पंचायत समिति- खेरवाड़ा जिला उदयपुर, राजस्थान से दिनांक 23.04.2025 के अभ्यावेदन पर दिनांक 18.11.2025 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक : 18.11.2025
सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

श्रीमती निर्मला गरासिया, पत्नी स्व. श्री हिम्मतसिंह, निवासी नानमपाडा पोस्ट- भाणदा, पंचायत समिति- खेरवाड़ा जिला उदयपुर, राजस्थान से दिनांक 23.04.2025 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अवगत कराया है कि उनके पति के कोरोना आपदा काल में देहांत होने के बाद उन्होंने राजस्थान सरकार की ग्राम विकास अधिकारी 2021 की प्रतियोगिता परीक्षा सफलतापूर्वक विधवा कोटे में उत्तीर्ण करते हुए प्रार्थिया का चयन हुआ है। नियुक्ति पूर्व दस्तावेज सत्यापन के बावजूद भी प्रार्थिया को उक्त पद पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। प्रार्थीया के दो से अधिक संतान होने का नियम बताकर उन्हें ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है। प्रार्थिया ने इस संबंध में आयोग से नियुक्ति प्रदान करवाने हेतु अनुरोध किया है।

प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रार्थी के अभ्यावेदन दिनांक 23.04.2025 पर आयोग द्वारा दिनांक 08/07/2025 को प्रमुख सचिव, पंचायती राज, राजस्थान सरकार के नोटिस जारी किया गया। नोटिस में उल्लेखित समायावधि में विभाग से जवाब प्राप्त नहीं होने पर आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 18/11/2025 को सुनवाई आहूत की गई।
सुनवाई तिथि को कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग के प्रतिनिधि श्री बृजेश चान्दोलिया, अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव प्रथम उपस्थित हुये तथा याचिकाकर्ता भी उपस्थित रहे।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

सुनवाई के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को विभाग के लिखित प्रतिवेदन दिनांक 12/11/2025 प्रस्तुत करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि श्रीमती निर्मला गरासिया ने तत्सम्यग्राम विकास अधिकारी भर्ती-2021 में विधवा केटेगरी से आवेदन किया तथा प्रार्थिया की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन हेतु अस्थाई रूप से चयन हुआ था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 में अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए विभाग को भिजवाया गया था। दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट के अनुसार उक्त कार्मिक को बोर्ड द्वारा दिनांक 25.11.2022 को अपात्र किया गया। उक्त प्रकरण की तत्समय की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है:-

1. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
2. कार्मिक विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 राज्य की तत्समय सभी भर्तियों पर लागू होती है।
3. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, द्वारा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती-2021 में जारी विज्ञापन संख्या 04/2021 दिनांक 06.09.2021 के बिन्दु संख्या 15 में नियुक्ति सबन्धी अयोग्यताएँ में सन्तान संबन्धित विवरण दिया गया है, जिसके अनुसार 01-06-2002 के पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
4. तत्समय उक्त अभ्यर्थी के दस्तावेज के सत्यापन की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया श्रीमती निर्मला गरासिया के दो से अधिक सन्तान होने के कारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, द्वारा जारी आदेश कमांक 2163, दिनांक 25.11.2022 को प्रार्थीया के दो से अधिक सन्तान होने के कारण (रोल न. 260305) अपात्र किया गया।
5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, द्वारा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती-2021 में जारी विज्ञापन संख्या 04/2021 दिनांक 06.09.2021 में बिन्दु संख्या 15 में अंकित योग्यता व कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक बच्चे हो, यो राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिये अपात्र होगें।

शासन सचिव एवं आयुक्त के पत्र दिनांक 12/11/2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पत्र दिनांक – 13/11/2025 की प्रति भी आयोग को प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि प्रार्थिया ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती-2021 में विधवा केटेगरी से आवेदन किया तथा प्रार्थिया का पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन हेतु अस्थाई रूप से चयन हुआ था।
बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती-2021 में अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेजों सत्यापन के लिए विभाग को भिजवाया गया था। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन करने पर प्रार्थीया के दो से अधिक सन्तान होने के कारण अपात्र किया गया। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन कि रिपोर्ट अनुसार बोर्ड द्वारा आदेश क्रमांक 2163, दिनांक 25.11.2022 को प्रार्थीया के दो से अधिक सन्तान होने के कारण (रोल न. 260305) अपात्र किया गया। बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती-2021 जारी विज्ञापन संख्या 04/2021 दिनांक 06.09.2021 में बिन्दु संख्या 15 नियुक्ति सबंधी अयोग्यताएँ में सन्तान संबन्धित विवरण

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

दिया गया है। जिसके अनुसार 01-06-2002 के पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। अतः उपरोक्तानुसार उक्त अभ्यर्थी को विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन में अपात्र किया गया था। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 16.03.2023 के अनुसार विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिये उक्त संतान की बाध्यता के प्रावधान लागू नहीं होगें का प्रावधान रखा गया है, किन्तु उक्त प्रावधान दिनांक 16.03.2023 से प्रभावी होने से इस भर्ती पर लागू नहीं होगें।

आयोग द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी के पक्ष की सुनवाई के उपरान्त निम्न अनुशंसा माननीय आयोग द्वारा की गई है :

आयोग यह अनुशंसा करता है कि आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 16.03.2023 के अनुसार विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिये दो संतान की बाध्यता के प्रावधान लागू नहीं होगें,यह प्रावधान रखा गया है। यह प्रावधान दिनांक 16.03.2023 से प्रभावी होने तथा प्रश्नगत प्रकरण में अनुसूचित जनजाति की विधवा महिला की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यदि कोई शिथिलता प्रदान करने का प्रावधान हो तो समक्ष अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रार्थीया को नियुक्ति प्रदान करवाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर कार्मिक विभाग को भेजते हुए कार्मिक विभाग के जवाब के अनुसार प्रकरण की अन्तिम वस्तुस्थिति से आयोग को अवगत कराया जाए । इसके उपरान्त पत्रावली पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

16

फाइल. सं. NCST/SER-2394/RJ/67/2025-RO-JPR/RU-I

दिनांक: 18.11.2025

विषय: अनुसूचित जनजाति की महिला को राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी 2021 की परीक्षा में नियुक्ति नहीं देने के सन्दर्भ में श्रीमती निर्मला गरासिया, पत्नी स्व. श्री हिम्मतसिंह, निवासी नानमपाडा पोस्ट- भाणदा, पंचायत समिति- खेरवाड़ा जिला उदयपुर, राजस्थान से दिनांक 23.04.2025 का अभ्यावेदन के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 18.11.2025 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
3.	श्री चेतन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
4.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
5.	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
पंचायती राज विभाग,
राजस्थान सरकार,

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	ब्रजेश कुमार चान्दोलिया	संयुक्त शासन सचिव - पंचायतीराज विभाग	9549379009	[signature]
2.				
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	निर्मला गरासिया		9636815758	निर्मला
2.	देवांग गरासिया		9602851156	देवांग
3.				
4.				